

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 9/2016

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार,
रियाबडी

1देवीलाल पुत्र पूसाराम जाति कुम्हार निवासी थांवला
तहसील रियाबडी।

2अधिशायी अभियन्ता, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्र सरकार।

उपरिस्थिति—

- 1— श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
- 2— श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 28-05-2018

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा—67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि “श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 के कॉलम सं. 5 में खुदकाशत की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज हुए है:—

1(1)कि ग्राम—थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है। कॉलम सं. 5 पुसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह संवत् 2012 से 2016 खसरा नं. 664, 665, 666, 667, 668 कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 138 के अमल हुआ। पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह संवत् 2012 से

Page 1 of 7



अपर कलक्टर, नागौर

2016 खसरा नं. 664, 665, 666, 667, 668 कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 138 के अमल हुआ पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार खसरा नं. 664, 666, 667, 665, कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 5 पांचू पुत्र सालग कुम्हार संवत 2012 से 2016 खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676 कुल खसरा 8 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 137 के अमल पांचू पुत्र सालग कुम्हार खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1 कुल खसरा 9 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में तेजा व सालगा पिता किशना कुम्हार संवत् 2016 उन्थालू खसरा नं. 650, 661, 660 कुल खसरा 3 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 150 के अमल धूला, पांचू पिता किशना खसरा नं. 650, 659 कुल खसरा 2 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं. 660, 662 कुल खसरा 2 कुल रकबा 14 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालग कु. 51 संवत 2012 से 2016 पूसा, चुतरा कु. 32.10, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 हरिनाथ चेला प्रयागनाथ 2015, 2016 गोकल दरोगा 17.10, 2014, 2015, 2016 मोती कादर साईं 7, 2015, 2016 भागीरथ, बोदू भांबी 13 संवत 2012, 2013, 2016 कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 119 के अमल पूसा पुत्र चुतरा खसरा नं. 678/2 रकबा 15 बीघा दर्ज है।

1(2)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 218 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता-41 कुल रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी पीरनाथ चेला नवाबनाथ कौम नाथ निवासी थांवला के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 225 के खसरा नं. 664, 666, 667, 668, 678/2, 665, 663 कुल खसरा किता-7 कुल रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह कॉलम सं. 5 में दर्ज है व खाता सं. 211 के खसरा नं. 650, 659, 662, 660 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 पांचू धूला पिता किशना कौम कुम्हार साकिन देह दर्ज है व खाता सं. 213 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 900, 671, 672, 676, 898, 899 कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालगराम कुम्हार साकिन देह व खाता सं. 182 के खसरा नं. 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह व खाता सं. 495 के खसरा नं. 1787 रकबा 61 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में ग्राम पंचायत थांवला गैर मुमकिन गोचर व खाता सं. 12 के खसरा नं. 1792 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम 8 में जलोड भूमि (नाडी तालाब) राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

1(3)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2022 से 2025 के खाता सं. 218 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190,



[Handwritten Signature]
अपर कलेक्टर, नागौर

2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता-41 कुल रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी पीरनाथ चेला नवानाथ कौम जोगी साकिन देह के नाम दर्ज है। पीरनाथ के स्थान पर उक्त भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम नाथ सा. देह थांवला के नाम स्वीकृत हुई। जिला कलक्टर महादेय नागौर के आदेशानुसार खसरा नं. 658 में से 1 बीघा व खसरा नं. 678 में से 24 बीघा कुल रकबा 25 बीघा भूमि राजकीय खाते में गै.मु. सडक के रूप में दर्ज हुई। शेष 529 बीघा 1 बिस्वा भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम नाथ सा.देह थांवला के नाम रही व खाता सं. 213 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 900, 671, 672, 676, 898, 899 कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालगराम कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है व खाता सं. 494 के खसरा नं. 1787 रकबा 61 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में ग्राम पंचायत थांवला गउचर भूमि दर्ज है व खाता सं. 12 के खसरा नं. 1792 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम 8 में जलोड भूमि (नाडी तालाब) राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है व खाता सं. 225 के खसरा नं. 664, 666, 667, 668, 678/2, 665, 663 कुल खसरा किता-7 कुल रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पूसा पुत्र चतरा कुम्हार साकिन देह में दर्ज है व खाता सं. 211 के खसरा नं. 650, 659, 662, 660 कुल खसरा किता-4 कुल रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 पांचू, धूला पिता किशना कौम कुम्हार साकिन देह ब. हि. बराबर दर्ज है व कॉलम सं. 16 में आदेश जिलाधीश नागौर ता. 5003 134 मि. 65 से खसरा नं. 659 रकबा 10 बिस्वा (204) सडक निकाल से लगान 1.05 कमी किया गया दिनांक 23.12.65 खाता सं. 182 के खसरा नं. 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 27 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में नाथू पुत्र सूजा कौम नायक साकिन देह दर्ज है।

1(4)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2026 से 2029 के खाता सं. 489 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा 46 रकबा 539 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम-नाथ सा.देह के नाम दर्ज है। म्यूटेशन सं. 646 दिनांक 08.06.68 के तहत खसरा नं. 678 रकबा 80.05 बीघा बजाये पीर हरनाथ में श्री सोहनदास पुत्र चिमनदास के नाम म्यूटेशन स्वीकृत होने से रेकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। म्यूटेशन सं. 736 दिनांक 28.05.72 के अनुसार बजाये सोहनदास के खसरा नं. 678 रकबा 80.05 बीघा का म्यूटेशन श्री सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के नाम स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 28.05.72 के तहत खसरा नं. 678 में से रकबा 25 बीघा रकम 6.25 का म्यूटेशन बजाय सोहनलाल के उदा पुत्र फुसा जाति कुम्हार के नाम स्वीकृत हुआ।

1(5)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2030 से 2033 के खाता सं. 41, संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 42, संवत 2037 से 2040 के खाता सं. 29, संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 29, संवत 2046 से 2049 के खाता सं. 29, संवत 2050 से 2053 के खाता



अपर कलक्टर, नागौर

सं. 29 के खसरा नं. 678/7 रकबा 25 बीघा उदाराम पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 1822 बंटवाडा के द्वारा 1. उदाराम पुत्र पुसाराम कुम्हार ख. नं. 678/7/1 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 2. सुवालाल पुत्र पुसाराम कुम्हार कौम कुम्हार निवासी थांवला ख.नं. 678/7/2 रकबा 5 बीघा लगान 1.25, 3. देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला ख.नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 4. जोराराम पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला 678/7/4 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 5. बद्रीराम पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला खसरा नं. 678/7 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 स्वीकृत हुआ। संवत 2054 से 2057 के खाता सं. 229 के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। जमाबंदी ग्राम थांवला के संवत 2058 से 2061 के खाता सं. 278 के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 678/7/3 के स्थान पर 2523/678 दर्ज किया गया। म्यूटेशन सं. 3994 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2523/678 रकबा 5 बीघा में से नये ख.नं. 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में गै.मु. सडक दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

2उपरोक्त राजस्व रेकॉर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकॉर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

3मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

5माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के खाता सं. 278 के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं.



अपर कलेक्टर, नागौर

678/7/3 के स्थान पर 2523/678 दर्ज किया गया। म्यूटेशन सं. 3994 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2523/678 रकबा 5 बीघा में से नये ख.नं. 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में गै.मु. सडक दर्ज करने की स्वीकृति हुई। उक्त भूमि पुनः मूर्ति मंदिर महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत 2012 से 2023, 2026 से 2029, 2034 से 2037, 2050 से 2057 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम थांवला संवत 2058 से 2061 तक की तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 646, 736, 747, 1822, व 3994 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला के खसरा नं. 678 भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जिसमें से वर्तमान में खसरा नं. 2523/678 (678/7/3) रकबा 0.625 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 देवीलाल व 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. अप्रार्थी नं. 2 के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते। अप्रार्थीगण का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थी सं. 1 ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरुद्ध खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार खातेदार दर्ज है, शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 678/7/3 के स्थान पर 2523/678 दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 3994 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2523/678 रकबा 5 बीघा में से नया खसरा नं. 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में गै.मु. सडक दर्ज करने की स्वीकृति हुई, के विरुद्ध पेश किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध तरीके से पेश किया गया है। इसके संबंध में उतरदाता का यह जवाब है कि उक्त भूमि उतरदाता के पूर्वजों के नाम संवत 2016 से ही चलती आ रही है। उतरदाता ने उक्त भूमि पर काफी मात्रा में आर्थिक व शारीरिक श्रम कर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने लायक बनाने के लिये अथक परिश्रम किया है। लगभग 50 से 55 सालों से उतरदाता के पूर्वज व




अपर कलेक्टर, नागौर

उत्तरदाता द्वारा काश्त के काबिल बनाने के लिये अत्यधिक श्रम खर्च करने के बाद में काश्त के उपयोग में उत्तरदाता के द्वारा ली जा रही है। अगर इतने सालों तक लगभग 50-60 सालों तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उत्तरदाता के विरुद्ध नहीं की गई थी, इस कारण अब यह प्रकरण मियाद बाहर भी है। इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का तहसीलदार थांवला को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

(5)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार ख.नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा भूमि श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ रा जातरा नाथ सा. देह दर्ज रही है। जिसमें ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2030 से 2033 के खाता सं. 41, संवत् 2034 से 2037 के खाता सं. 42, संवत् 2037 से 2040 के खाता सं. 29, संवत् 2042 से 2045 के खाता सं. 29, संवत् 2046 से 2049 के खाता सं. 29, संवत् 2050 से 2053 के खाता सं. 29 के खसरा नं. 678/7 रकबा 25 बीघा उदाराम पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज हुई है। नामान्तरकरण सं. 1822 बंटवाडा के द्वारा 1. उदाराम पुत्र पुसाराम कुम्हार ख.नं. 678/7/1 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 2. सुवालाल पुत्र पुसाराम कुम्हार कौम कुम्हार निवासी थांवला ख.नं. 678/7/2 रकबा 5 बीघा लगान 1.25, 3. देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला ख.नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 4. जोराराम पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला 678/7/4 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 5. बद्रीराम पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला खसरा नं. 678/7 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 स्वीकृत हुआ। संवत् 2054 से 2057 के खाता सं. 229 के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। जमाबंदी ग्राम थांवला के संवत् 2058 से 2061 के खाता सं. 278 के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा देवीलाल पुत्र पुसाराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज है। शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 678/7/3 के स्थान पर 2523/678 दर्ज किया गया। म्यूटेशन सं. 3994 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2523/678 रकबा 5 बीघा में से नया खसरा नं. 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. गै.मु. सडक, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का ना.क. सं. 3994 खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला के खसरा नं. 678/7/3 रकबा 5 बीघा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत् 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की




अपर कलेक्टर, नागौर

जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(6) उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खसरा नं. 2523/678 (678/7/3) रकबा 0.625 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 देवीलाल व 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. अप्रार्थी नं. 2 के नाम दर्ज है, भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2016-19 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खसरा नं. 2523/678 (678/7/3) रकबा 0.625 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 देवीलाल व 3492/678 रकबा 0.185 हैक्ट. अप्रार्थी नं. 2 के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत् श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अशोक कुमार)
अपर कलेक्टर, नागौर
अपर कलेक्टर, नागौर